झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
JHARKHAND MUKTI MORCHA
केन्द्रीय समिति Central Committee

पत्रांक/Ref. JMM/175/F-54/2026-27 दिनांक/Date 15/06/2026

झारखंड मुक्ति मोर्चा - SIR संबंधी अनुवर्ती पत्र

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

झारखंड, राँची।

विषय : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चिन्हित Anomaly एवं Unmapped मतदाताओं से गृह-गणना चरण में ही दस्तावेज़ प्राप्त करने पर पुनर्विचार एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु।

महोदय,

झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में दस्तावेज़ संग्रहण को लेकर आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से व्यक्त स्थिति का संज्ञान लिया गया है। प्रकाशित समाचारों के अनुसार गृह-गणना (Enumeration) चरण के दौरान सामान्य मतदाताओं से कोई दस्तावेज़ नहीं लिया जाएगा तथा केवल उन मामलों में दस्तावेज़ मांगे जाएंगे जिन्हें बाद में नोटिस एवं सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

हम निर्वाचन आयोग के उद्देश्यों और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों का सम्मान करते हैं। तथापि, यदि पूर्व-गणना अथवा मैपिंग प्रक्रिया के दौरान ही यह ज्ञात है कि कुछ मतदाताओं के नामों में विसंगति (Anomaly) है अथवा वे Unmapped श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे मामलों में गृह-गणना चरण के दौरान ही आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करना अधिक व्यावहारिक, मानवीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से लाभकारी प्रतीत होता है।

हमारा मानना है कि ऐसा करने से निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ होंगे:

1. मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी, भ्रम एवं भय से मुक्ति मिलेगी

फोन/Phone : 2542009, फैक्स/Fax : 2542009
प्र. का. : बरियातु रोड, राँची-834009, H.O. : Bariatu Road, Ranchi- 834009
Phone : 7541891222
E-mail : jharkhandmuktimorcha@yahoo.co.in

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत किसी मतदाता को पहले गणना प्रपत्र जमा करना होगा और उसके पश्चात यदि उसके संबंध में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया बड़ी संख्या में मतदाताओं के बीच यह आशंका उत्पन्न कर सकती है कि उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों में ऐसी आशंकाएँ तेजी से फैलती हैं। यदि पहले से चिन्हित मामलों में दस्तावेज़ गणना चरण के दौरान ही प्राप्त कर लिए जाएँ, तो बाद में नोटिस जारी करने की आवश्यकता कम होगी, अनावश्यक अफवाहों पर रोक लगेगी तथा मतदाता अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रक्रिया में भाग लेंगे।

2. जिला निर्वाचन प्रशासन एवं BLO तंत्र पर अतिरिक्त बोझ कम होगा

यदि पहले से चिन्हित Anomaly एवं Unmapped मामलों में प्रारंभिक स्तर पर दस्तावेज़ प्राप्त कर लिए जाएँ, तो बड़ी संख्या में नोटिस जारी करने, दस्तावेज़ों के पृथक संग्रहण, व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित करने तथा पुनः सत्यापन करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। इससे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) तथा बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) पर पड़ने वाला अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ कम होगा। सीमित संसाधनों एवं समय में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य निष्पादित किया जा सकेगा तथा अंतिम चरण में लंबित मामलों की संख्या भी घटेगी।

3. प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों एवं राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी

झारखंड के लाखों नागरिक रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय अथवा अन्य कारणों से राज्य के बाहर रहते हैं। यदि ऐसे मतदाताओं को बाद में नोटिस जारी होता है और उन्हें दस्तावेज़ प्रस्तुत करने अथवा सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें पुनः झारखंड आना पड़ सकता है। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, रोजगार प्रभावित होगा तथा कई पात्र मतदाता केवल व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे। यदि गृह-गणना चरण के दौरान ही दस्तावेज़ प्राप्त कर लिए जाएँ तो इन नागरिकों को बार-बार राज्य आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उनके मताधिकार की रक्षा अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

4. SIR प्रक्रिया अधिक सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनेगी

विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। यदि प्रारंभिक चरण में ही उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर अधिकांश विसंगतियों का समाधान कर लिया जाता है, तो अंतिम चरणों में लंबित मामलों की संख्या कम होगी। इससे आपत्तियों, नोटिसों, सुनवाइयों और पुनः सत्यापन की आवश्यकता सीमित होगी। पूरी प्रक्रिया

Scanned with OKEN Scanner

अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सकेगी तथा निर्वाचन अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बीच अनावश्यक विवाद एवं भ्रम की संभावनाएँ भी कम होंगी।

5. पात्र मतदाताओं के मताधिकार की अधिक प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होगी

भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार यह है कि कोई भी पात्र नागरिक केवल प्रक्रियात्मक कठिनाइयों, सूचना के अभाव या प्रशासनिक विलंब के कारण अपने मताधिकार से वंचित न हो। जब निर्वाचन तंत्र के पास पहले से यह जानकारी उपलब्ध है कि किन मतदाताओं के मामलों में Anomaly अथवा Unmapped स्थिति मौजूद है, तब उन्हें प्रारंभिक चरण में ही आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अवसर देना अधिक न्यायसंगत एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होगा। इससे ऐसे मामलों की संख्या कम होगी जिनमें नागरिक केवल समय पर सूचना न मिलने या दस्तावेज़ जमा करने में कठिनाई के कारण अनावश्यक परेशानी का सामना करते हैं। यह कदम मतदाता सुविधा, समावेशी लोकतंत्र तथा मताधिकार की सुरक्षा के निर्वाचन आयोग के मूल उद्देश्यों के अनुरूप होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निवेदन है कि निर्वाचन आयोग इस विषय पर पुनर्विचार करे तथा कम-से-कम उन मामलों में, जहाँ पूर्व-गणना चरण में ही Anomaly अथवा Unmapped स्थिति चिन्हित हो चुकी है, गृह-गणना चरण के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने की अनुमति देने पर विचार करे।

साथ ही, यदि आयोग इस संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था या प्रक्रिया प्रस्तावित कर रहा है, तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए ताकि मतदाताओं, राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

आशा है कि आयोग मतदाताओं की सुविधा, प्रशासनिक दक्षता तथा लोकतांत्रिक सहभागिता के व्यापक हित में इस सुझाव पर सकारात्मक विचार करेगा।

सधन्यवाद।

भवदीय,

(विनोद कुमार पांडेय)
महासचिव

Scanned with OKEN Scanner

मैपिंग और गणना के दौरान मतदाताओ को नहीं देना है कोई दस्तावेज

- एसआइआर में गणना चरण के दौरान मतदाताओं को सिर्फ भरकर देना है गणना प्रपत्र
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, वहुत ही कम मतदाताओं को देना पड़ेगा दस्तावेज

राज्य ब्यूरो, जागरण • रांची : राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान न तो मैपिंग और न ही गणना चरण (इन्यूमरेशन फेज) में मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज देना है। गणना चरण के दौरान मतदाताओं को सिर्फ गणना प्रपत्र (इन्यूमरेशन फार्म) भरकर तथा हस्ताक्षर कर देना है। फार्म आधा पहले से ही भरा रहेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआइआर को लेकर दस्तावेज मांगे जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।

उन्होंने बिना नाम लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस अनुरोध के संबंध में इसे स्पष्ट किया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग से गणना चरण के दौरान ही मतदाताओं के सभी दस्तावेज एकत्र करने का अनुरोध किया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड की 2026 की मतदाता सूची में शामिल मौजूदा मतदाताओं में से दस्तावेज जमा करने वाले मतदाताओं की संख्या बहुत ही कम होगी। दस्तावेज केवल उन्हीं चिन्हित मतदाताओं से एकत्र किए जाएंगे, जिन्हें नोटिस और सत्यापन अवधि (पांच अगस्त से नौ अक्टूबर 2026) के दौरान नोटिस मिलेगा।

नोटिस मिलने की स्थिति में ही देना होगा दस्तावेज : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, सिर्फ वैसे मतदाता जिन्हें नोटिस और सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलता है, उन्हें ही आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अन्य किसी को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में (जिसमें झारखंड की वर्ष 2003 की एसआइआर मतदाता सूची भी सम्मिलित है) पिछले एसआइआर की मतदाता सूची में मतदाता का नाम होना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह ईआरओ, एईआरओ तथा बीएलओ के पास उपलब्ध है। ये मतदाताओं की ओर से पिछले एसआइआर की मतदाता सूची के उद्धरण की सत्यापित प्रति जमा करेंगे। इस प्रकार बहुत ही कम मतदाताओं को पांच अगस्त के बाद दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी और वा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पिछल एसआइआर की मतदाता सूची क उद्धरण होगा।

पहली स्थिति : बिना किसी त्रुटि के मैपिंग हो चुकी हो

जिन मतदाताओं ने बिना किसी त्रुटि के वर्ष 2003 की मतदाता सूची के साथ अपना स्वयं का या माता-पिता की मैपिंग पूरी कर ली है, उन्हें गणना चरण के दौरान कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उस दौरान केवल भरा हुआ और हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र एक नवीनतम रंगीन फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद उनका नाम एसआइआर-2026 की प्रारूप मतदाता सूची में दिखाई देगा। यदि उक्त प्रारूप पर उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी अन्य मतदाता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है और निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) ऐसे मतदाताओं की सुनवाई करने का निर्णय लेते हैं, तो उनके द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई की जाएगी।

दूसरी स्थिति : मैपिंग हो चुकी, लेकिन त्रुटि है

किसी मतदाता की मैपिंग में कुछ त्रुटिया हैं, तो उन्हें भी गणना चरण के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी नवीनतम रंगीन फोटो के साथ भरा हुआ और हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र ही बीएलओ को जमा करना होगा। उनका नाम भी प्रारूप मतदाता सूची में दिखेगा। ऐसी स्थिति में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसे मतदाता पिछली मतदाता सूची के विवरण के बारे में अधिक सटीक जानकारी देने में सक्षम हैं, तो सबधित ईआरओ या एईआरओ और बीएलओ वेवसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्लयू डाट वोटर्स डाट ईसीआइ डाट जीओवी डाट इन से ऐसी जानकारी खोजने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे और वे गणना चरण के दौरान विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे।

तीसरी स्थिति : जिन्होंने मैपिंग पूरी नहीं की

वर्ष 2026 की मतदाता सूची के वे मौजूदा मतदाता, जिन्होंने वर्ष 2003 की मतदाता सूची के साथ अपना स्वय का या माता-पिता का मैपिंग पूरी नहीं की है, उन्हें भी गणना चरण के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी नवीनतम रंगीन फोटो के साथ भरा हुआ और हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र ही देना है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ, एईआरओ तथा बीएलओ स्वयं या माता-पिता की मैपिंग पूरा कराने का प्रयास करेंगे। यदि मतदाता पिछली सूची के विवरण के बारे में अधिक सटीक जानकारी देने में सक्षम नहीं हैं, तो सबधित ईआरओ, एईआरओ और वेबसाइट से ऐसी जानकारी खोजने और प्राप्त करने मे सक्षम होंगे। बीएलओ बिना किसी विसंगति के स्वय या माता-पिता का मैपिंग करने का प्रयास करेंगे और इन मतदाताओं को भी कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नही होगी।

Scanned with OKEN Scanner